

// पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम सत्र 2018-19 की ऑनलाईन काउंसिलिंग हेतु पात्र अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश //

मध्य प्रदेश शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित शासकीय स्वशासी नर्सिंग महाविद्यालय इंदौर में शासन द्वारा पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम में स्वीकृत नवीन 40 सीटों पर प्रवेश हेतु ऑनलाईन काउंसिलिंग के लिए पात्र अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक दिशा निर्देश:-

1. शैक्षणिक योग्यता-

1.1 जनरल नर्सिंग उत्तीर्ण (3^{1/2} वर्षीय डिप्लोमा कोर्स) रजिस्ट्रर्ड नर्स/रजिस्ट्रर्ड मीडवाइफ जनरल नर्सिंग उत्तीर्ण प्राप्तांक अनारक्षित अभ्यर्थी हेतु 55 प्रतिशत एवं आरक्षित श्रेणी अभ्यर्थी हेतु 50 प्रतिशत।

2. अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष होगी

3. मेरिट सूची रजिस्ट्रेशन उपरांत अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय दर्ज करायी गयी जनरल नर्सिंग अंतिम वर्ष की अंकसूची के आधार पर तैयार की जायेगी।

4. पंजीकरण के लिये अभ्यर्थी को 1000/- का शुल्क ऑनलाईन जमा करना होगा। यह शुल्क का भुगतान अभ्यर्थी अपने नेट बैंकिंग/डेबिटकार्ड/क्रेडिटकार्ड/यु.पी.आई अथवा अपने नजदीक एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से कर सकता है।

5. पंजीकरण की प्रक्रिया घोषित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 21.12.2018 रात्री 11:59 PM बजे तक जारी रहेगी। पंजीकरण के समय किसी भी कारण जैसे नेटवर्क का फेल होना, कम्प्यूटर का फेल होना, तकनीकी त्रुटि, बिजली का जाना आदि के कारण बढ़ाया नहीं जायेगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह समयावधि के भीतर जल्द से जल्द पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण कर लें एवं पंजीकरण की अंतिम तिथि तक इंतजार न करें।

6. पात्र अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए एमपी ऑनलाईन पोर्टल पर अपना ऑनलाईन पंजीयन विनिर्दिष्ट समय-सीमा में कराया जाना आवश्यक है।

7. पंजीकरण, संपन्न हो जाने के उपरान्त उसमें किसी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा।

8. सीटों का आवंटन रजिस्ट्रेशन उपरांत अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय दर्ज करायी गयी जनरल नर्सिंग अंतिम वर्ष की अंकसूची के आधार पर तैयार मेरिट सूची से की जायेगी।

10. आवंटन हेतु प्राथमिकता निम्नानुसार होगी -

5.1 प्रथमतः मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन चिकित्सा महाविद्यालय एवं उनसे संबंध चिकित्सालयों इंदौर / भोपाल / ग्वालियर / जबलपुर /रीवा/सागर में कार्यरत महिला नर्सिंग कर्मचारी को प्राथमिकता (जो महिला उम्मीदवार 5 साल की शासकीय सेवा पूर्ण कर चुकि है और जिनको उनके विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो)।

- 5.2 चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने के स्थिति में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (जो महिला उम्मीदवार 5 साल की शासकीय सेवा पूर्ण कर चुके हैं और जिनको उनके विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो) एवं केन्द्र शासन के अधीन चिकित्सालय में कार्यरत महिला उम्मीदवार।
- 5.3 उपरोक्त उपलब्ध न होने की स्थिति में निजी संस्थाओं में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ।
11. सभी नर्सिंग उम्मीदवारों को प्रवेश के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 12. आवंटन पूर्णतः प्रावधिक (Provisional) होगा, एवं प्रवेश हेतु पात्रता अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों के सत्यापन के उपरान्त पात्रता के निर्धारण पर आधारित होगा।
 13. आवंटन परिणाम घोषित होने के उपरान्त आवंटित अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र एमपी आनलाईन पोर्टल से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेगा।
 14. आवंटित अभ्यर्थी को शासकीय नर्सिंग कॉलेज इंदौर में प्रवेश के लिए स्वयं अपने आवंटन पत्र, आवश्यक मूल दस्तावेज जिनकी सूची उक्त वेबसाइट एवं पोर्टल पर उपलब्ध है एवं निर्धारित शुल्क के साथ विनिर्दिष्ट समय सीमा में प्रवेश हेतु प्रस्तुत होना होगा।
 15. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है की वे काउंसिलिंग संबंधी जानकारी हेतु संचालनालय की वेबसाइट www.medicaleducation.mp.gov.in, शासकीय नर्सिंग कॉलेज इंदौर की वेबसाइट www.govnursingcollegeindore.in एवं एम0पी0 आनलाईन पोर्टल dme.mponline.gov.in के सतत् संपर्क में रहे।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश